न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 17/2020

दायर तारीख :– 28-02-2020

1. बाबूलाल पुत्र भंवरा
2. जयराम पुत्र भंवरा
3. मनभरी पत्नि भंवरा
4. सुनील कुमार पुत्र जगदीश नाबालिग जरियें प्राकृतिक संरक्षक दादी मनभरी देवी पत्नि स्व. भंवरा

समस्त जाति मीणा निवासी बागावास चौरासी तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— वादीगण

बनाम

1. मीरा पुत्र भंवरा पत्नि रमेश जाति मीणा निवासी बागावास चौरासी हाल निवासी भाबरू तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
2. संती पुत्री भंवरा पत्नि शेरसिंह जाति मीणा निवासी बागावास चौरासी हाल निवासी मुडिया खेडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
3. पूजा पुत्री जगदीश पत्नि मुकेश जाति मीणा निवासी बागावास चौरासी हाल निवासी डोला का बास वाया कालाडेरा तहसील चौमू पिन नंबर 303801।
4. उपपंजीयक उपपंजीयन कार्यालय विराटनगर जिला जयपुर राज0।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर कार्यालय तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— प्रतिवादीगण

6. गोपाल पुत्र भंवरा जाति मीणा निवासी बागावास चौरासी तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
7. महेश उर्फ मदन लाल पुत्र भंवरा जाति मीणा निवासी बागावास चौरासी तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित : श्री आनंद सिंह शेखावत, अधिवक्ता वादीगण
एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 एवं तर0 प्रति0 6 व 7
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 18.02.2021

1. वादीगण ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम बागावास चौरासी के खाता संख्या 190 के हाल खसरा नम्बर 1194/2/1.5937, 1195/0.0350, 1196/0.9592, 1214/1/0.4000, 1215/0.1550, 1215/2/0.0800, 1483/1/0.1000 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 3.3229 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि में वर्तमान में वादीगण, प्रतिवादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2075–2078 है। यह है कि वादी संख्या 1 व

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

2 एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 व 7 आपस में सगे भाई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2, वादीगण संख्या 1 व 2 एवं तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 की बहिन है। वादी संख्या 3 इनकी माता एवं वादी संख्या 4 व प्रतिवादी संख्या 3 की दादी है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के बुजुर्ग भंवरा के 5 पुत्र जगदीश, गोपाल, जयराम, बाबूलाल, व महेश एवं दो पुत्री मीरा व संती हुए थे, जिनमें से जगदीश व उसकी पत्नि राजो देवी भंवरा के जीवन काल में ही फोत हो गए थे, जिनके पीछे एक पुत्र सुनील व एक पूत्री पूजा है। यह है कि भंवरा के पुत्र पुत्रियों में दोनों पुत्रियों की शादी हो चुकी है एवं दोनों पुत्रियां अपनी–अपनी सुसराल रहती है एवं जगदीश की पुत्री पूजा की भी शादी हो चुकी है और वह भी अपने ससुराल रहती है इस प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 अपने–अपने ससुराल में रहती हैं वाद ग्रस्त आरजी पर न तो उनका रहन सहन ही है और न ही उक्त आरजी के किसी भी भाग की काश्त ही करती है उक्त आराजी मृतक भंवरा के पांच पुत्रों व पत्नि के कब्जे काश्त में ही है एवं आपसी मनबट के आधार पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। यह है कि मृतक भंवरा की विरासत का खाता खोलते समय वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 एवं तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 के नाम नामान्तकरण खोला गया है उस समय वादीगण व प्रतिवादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण की उक्त खातेदारी भूमि मृतक भंवरा व उसके भाई साधूराम की सह खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड थी जिसका बंटवारे का दावा विचाराधीन था, जिससे सभी वारिसों के नाम खाता खोल दिया गया। यह है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 से साधूराम के साथ बंटवारे का दावा विचाराधीन रहते बंटवारा होने से पहले एवं बंटवारा होने के बाद में उनके नाम दर्ज खातेदारी भूमि का वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तक से टालमटोल करते रहे है। यह है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 एवं तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 मीणा समाज के व्यक्ति है, जिन्हें संविधान के अन्तर्गत अनूसूचित जनजाति के दर्ज किया हुआ है एंव हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2 की उपधारा 2 के अनुसार उक्त अधिनियम के सदस्यों पर लागू नहीं होता है तथा अनूसूचित जनजाति के सदस्यों में विवादित पुत्री का पूर्वजों की सम्पति पर कोई अधिकार नहीं होता है न ही उनको खातेदारी अधिकार ही रखने के अधिकार देते है, जिससे प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के नाम दर्ज रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक हो गया है कि प्रतिवादी वाद ग्रस्त आराजी में उनके नाम दर्ज खातेदारी भूमि को रहन, बय, विक्रय, अंतरण पंजीयन नहीं करे व न ही करावें। यह है कि वादीगण व प्रतिवीदगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्ति होने से वाद ग्रसत आराजी में विवाहित पुत्रियों का नाम हटाया जाकर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को हिस्सा 1/6, 1/6 का खातेदार काश्तकार घोषित करवाया जाना आवश्यक हो गया है। अतः निवेदन है कि डिकी बहक वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी हक इस अमर की प्रदान की जावे कि भूमि हाल खसरा नंबर 1194/2/1.5937, 1195/0.0350, 1196/0.9592, 1214/1/0.4000, 1215/0.1550, 1215/2/0.0800, 1483/1/0.1000 हैक्टेयर कुल किता 7

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराट नगर, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

कुल रकबा 3.3229 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम बागावास चौरासी का रिकॉर्ड दुरूस्त करते हुए वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 को हिस्सा 1/6, 1/6 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एवं तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाया जावें। साथ ही प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण वाद ग्रस्त आराजी को रहन बय विकय अंतरण या पंजीयन नहीं करे व न ही करावें सदा सदा के लिए पाबंद रहें।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 एवं तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 को सम्यक् तामिल अनुपस्थित रहे, इनके विरूद्व एकपक्षीय क़ार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।

3. वादी ने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी ग्राम बागावास चौरासी खाता संख्या 177 संवत् 2071–2074 **प्रदर्श–1**, नकल जमाबन्दी ग्राम बागावास चौरासी खाता संख्या 125 संवत् 2063–2066 **प्रदर्श–2 (पृष्ठ–2)**, नकल जमाबन्दी ग्राम बागावास चौरासी खाता संख्या 146 संवत् 2067–2070 **प्रदर्श–3**, नकल नामान्तकरण रजिस्टर ग्राम बागावास चौरासी नामान्तकरण संख्या 807 दिनांक 16.04.2013 **प्रदर्श–4**, नकल जमाबंदी ग्राम बागावास चौरासी खाता संख्या 190 संवत् 2075–2078 **प्रदर्श–5,** नकल सहमति पत्र पूजा पुत्री जगदीश बहक सुनील कुमार **प्रदर्श–6–ए** आदि पेश किए है।

4. प्रकरण में साक्ष्य वादी के रूप में पी. डब्लू. 1 बाबूलाल पुत्र भंवरा, पी. डब्लू. 2 जयराम पुत्र भंवरीलाल, पी. डब्लू. 3 महेन्द्र पुत्र सुवालाल के मुख्य परीक्षण शपथ पत्र पेश किए गए तथा बयान पंजीबद्व किए गए।

5. अधिवक्ता वादीगण की तरफ से नेक दृष्टांत के रूप में हिन्दू उत्ताधिकार अधिनियम 1956 धारा 2(2), RBJ (5) 1998 page 456 to 459, RRD 1989 page 284 to 287, RRD 1981 page 360 to 365 आदि पेश किए है।

6. बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

7. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम बागावास चौरासी के खाता संख्या 190 के हाल खसरा नम्बर 1194/2/1.5937, 1195/0.0350, 1196/0.9592, 1214/1/0.4000, 1215/0.1550, 1215/2/0.0800, 1483/1/0.1000 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 3.3229 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि में वर्तमान में वादीगण, प्रतिवादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2075–2078 है। यह है कि नामान्तकरण संख्या 807 दिनांक 16.04.2013 द्वारा भंवरया पुत्र सुन्दर की फौत के उपरान्त उनकी विरासत के आधार पर मनभरी पत्नि भंवरा, बाबूलाल, जयराम, महेश, गोपाल पुत्रान भंवरा एवं सन्ती, मीरा पुत्रियान भंवरा के नाम एवं जगदीश की फौत के उपरान्त सुनील एवं पूजा के नाम दर्ज खातेदारी आई है। अर्थात उक्त वाद ग्रस्त भूमि की खातेदारी में प्रतिवादी सन्ती देवी, मीरा पुत्रियान भंवरलाल अपने पिता भंवरलाल एवं

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

पूजा पुत्री जगदीश के खातेदारी अपने पिता जगदीश की फौत के उपरान्त ही विरासत के आधार पर आई है। तथा जमाबंदी संवत् 2071–2074 एवं जमाबंदी संवत् 2075–2078 में भी प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 की खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 की दर्ज रिकॉर्ड खातेदारी उनके पूर्वज की फौत होने के उपरान्त ही विरासत के आधार पर आई है। उक्त वाद ग्रस्त आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी अपने पूर्वज के नाम दर्ज रिकॉर्ड भूमि से विरासत के आधार पर आयी होने से प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 का भी समान हक व अधिकार बनता है, जिससे उक्त वाद ग्रस्त आराजी में वादीगण के साथ–साथ प्रतिवादीगण का भी समान हक व अधिकार होने के कारण उनको उनकी खातेदारी हक व अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता हैं। अतः वादीगण का वाद पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

वादीगण का वादपत्र दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 18.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जयपुर

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर

बइजलास :– राजवीर सिंह यादव, आर.ए.एस.

1. बाबूलाल पुत्र भंवरा
2. जयराम पुत्र भंवरा
3. मनभरी पत्नि भंवरा
4. सुनील कुमार पुत्र जगदीश नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक दादी मनभरी देवी पत्नि स्व. भंवरा

समस्त जाति मीणा निवासी बागावास चौरासी तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— वादीगण

बनाम

1. मीरा पुत्र भंवरा पत्नि रमेश जाति मीणा निवासी बागावास चौरासी हाल निवासी भाबरू तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
2. संती पुत्री भंवरा पत्नि शेरसिंह जाति मीणा निवासी बागावास चौरासी हाल निवासी मुडिया खेडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
3. पूजा पुत्री जगदीश पत्नि मुकेश जाति मीणा निवासी बागावास चौरासी हाल निवासी डोला का बास वाया कालाडेरा तहसील चौमू पिन नंबर 303801।
4. उपपंजीयक उपपंजीयन कार्यालय विराटनगर जिला जयपुर राज0।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर कार्यालय तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— प्रतिवादीगण

6. गोपाल पुत्र भंवरा जाति मीणा निवासी बागावास चौरासी तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
7. महेश उर्फ मदन लाल पुत्र भंवरा जाति मीणा निवासी बागावास चौरासी तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— तरतीबी प्रतिवादीगण

8. **मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या** 17/2020 **दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री आनंद सिंह शेखावत, अधिवक्ता वादीगण** व हाजरी ....मिन जानिब मुद्दई रूबरू **पैराकार सरकार** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया है कि डिक्री बहक वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी हक इस अमर की प्रदान की जावे कि भूमि हाल खसरा नंबर 1194/2/1.5937, 1195/0.0350, 1196/0.9592, 1214/1/0.4000, 1215/0.1550, 1215/2/0.0800, 1483/1/0.1000 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 3.3229 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम बागावास चौरासी का रिकॉर्ड दुरूस्त करते हुए वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 को हिस्सा 1/6, 1/6 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एवं तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाया जावें। साथ ही प्रतिवादीगण को

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण वाद ग्रस्त आराजी को रहन बय विक्रय अंतरण या पंजीयन नहीं करे व न ही करावें सदा सदा के लिए पाबंद रहें।

सुना गया। बहस अधिवक्ता वादीगण एवं पैराकर सरकार अधिवक्ता सुनी गई। प्रकरण में पेश दस्तावेजी साक्ष्यों एंव मौखिक साक्ष्यों का विवेचन किया गया।

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वादपत्र दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 18.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर
उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

मुबलिक ....शून्य............................ बाबत ....शून्य.................... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत ....शून्य.................. की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक ....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 18.02.2021** को जारी की गई।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
विराट नगर, जयपुर

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर
उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस दर्ज करना चाहिए।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर
उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)